HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4296/2025

Mukesh Kumar Shamra S/o Late Shri Sitaram Sharma, Aged About 35 Years, R/o Dhani Indoriya Wali, Via- Khatushyamji, Tehsil- Shrimadhopur, Village- Abhawas, District- Sikar, Rajasthan.

----Accused/Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Sanwar Mal Sharma S/o Shri Prahlad Sharma, Aged About 58 Years, R/o Paramhansh Colony, Near Sindhu Nagar School, Bandhu Nagar, Murlipura, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Syed Adeel Naqvi, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL
Order

26/05/2026

1 याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– **346/2025** पुलिस थाना– **उद्योग नगर,** जिला– **सीकर,** अपराध अंतर्गत धारा **338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता** को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2 दो सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान लोक अभियोजक अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते है।

3 विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 346/2025 में मिथ्या संलिप्त किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि परिवादी सांवरमल द्वारा पूर्व में भी समान तथ्यों के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 132/2022, पुलिस थाना–मुरलीपुरा

में दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान मामला सिविल प्रकृति का होना पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात् परिवादी सांवरमल द्वारा पूर्व में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के समान तथ्यों पर ही पुलिस से मिलकर पुनः अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 346/2025 दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस उसे जबरन गिरफ्तार करने पर आमादा है। याची–अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने व उसमें सहयोग करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। अतः याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 346/2025 के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4 विद्वान लोक अभियोजक ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5 मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6 हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि याची–अभियुक्त दिनांक **09–06–2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान कार्यवाही में भाग लेकर उसमें सहयोग करे तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **346/2025** में दिनांक **09–06–2026** तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जावे। याची–अभियुक्त के अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर एवं अनुसंधान कार्यवाही में उपस्थित होकर सहयोग नहीं करने पर, उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान कार्यवाही के दौरान याची–अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अनुसंधान हेतु आवश्यकता होने पर वह उसे, उसकी गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के कारण को दर्शित करते हुए 15 दिवस पूर्व का नोटिस देगा।

7 प्रकरण **4** सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

3/NIKITA